उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे०मि० अपील सं०–01/2020–21

अभिमन्यु चन्द्र माँझी...अपीलकर्त्ता।

बनाम

जिला आपूर्ति पदाधिकारी, दुमका..........................उत्तरकारी।

आदेश

21.12.2021

यह रे०मि० (जन वितरण प्रणाली विक्रेता अनुज्ञप्ति रद्द) अपील वाद जिला आपूर्ति पदाधिकारी, दुमका के आदेश सं०–148/2020, ज्ञापांक–672/जि०आ० दिनांक–06.07.2020 के विरूद्ध दायर किया गया है, जिसमें अपीलकर्त्ता के जन वितरण प्रणाली बिक्रेता अनुज्ञप्ति सं०–18/87 पंचायत पथरिया, प्रखंड–रामगढ़ की अनुज्ञप्ति हेतु जमानत की राशि को जप्त करते हुए तत्काल प्रभाव से रद्द किया गया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं सरकारी अधिवक्ता को सुना। अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलकर्त्ता का जन वितरण प्रणाली विक्रेता अनुज्ञप्ति सं०–18/87 को उनके द्वारा स्वयं का बिना नम्बर प्लेट वाला ट्रैक्टर से 32 बोरा चावल, प्रति बोरा 50 किलो ग्राम चावल को कालाबजारी करने ले जा रहे गाड़ी को दहीचुआँ पंचायत के पथरिया ग्रामीणों द्वारा पकड़ा गया तथा उनके विरूद्ध कार्रवाई करने के मांग के आरोप में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, रामगढ़ एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी, रामगढ़ के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के आधार तत्कालिक प्रभाव से निलंबिन करते हुए अपीलकर्त्ता से कारण–पृच्छा की मांग की

(4)

गई। अपीलकर्त्ता द्वारा इसके अनुपालन में दिनांक–14.03.2020 को अपना कारण–पृच्छा दाखिल करते हुए उल्लेख किया गया है कि वह अपने भगना के साथ ट्रैक्टर से धान कुटवाने गया था तथा धान कुटवाकर 30 (तीस) बोरा चावल के साथ घर लौट रहा था। इस संदर्भ में चार मजदूर द्वारा भी प्रमाण दिया गया है। उनका गोदाम एवं भण्डार पंजी का भौतिक निरीक्षण करने पर अवशेष बचे चावल एवं मिट्टी का तेल सही पाया गया है, किन्तु अपीलकर्त्ता के कारण–पृच्छा को संतोषजनक नही पाए जाने के कारण उनके अनुज्ञप्ति को आदेश सं0–148/2020 दिनांक–06.07.2020 द्वारा रद्द किया गया।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि Section 11(2) of Bihar & Jharkhand Control (Bihar Trade Articles Licence Unification) order 1984 का अनुपालन नहीं किया गया है जिसमें उल्लेख है कि

"11.(2) No order of cancellation shall be made under this clause unless the licensee has been given a reasonable opportunity stating his case against the proposed cancellation but during the pendency or in contemplation of proceedings of cancellation of license, the license can be suspended for a period not exceeding 90 days without giving an opportunity to the license of stating his case. Such suspension shall be limited only to those trade articles regarding which contravention has been made by the license."

(2)

उनका यह भी कहना है कि अपीलकर्त्ता को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नही दिया गया। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को विलोपित करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाय।

अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि अपीलकर्त्ता के अनुज्ञप्ति को ज्ञापांक–161/जि0आ0 दिनांक–27.02.2020 द्वारा निलंबित किया गया है तथा उनका अनुज्ञप्ति को आदेश सं0–148/2020 ज्ञापांक–672/जि0आ0 दिनांक–06.07.2020 द्वारा रद्द किया है जो Bihar Trade Articles (Licence Unification) order 1984 के Section 11(2) के अनुकुल नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलकर्त्ता के आवेदन को स्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय को आदेश दिया जाता है कि अपीलकर्त्ता को सुनवाई हेतु समुचित अवसर देते हुए आदेश पारित किया जाय।

लेखापित एवं संशोधित

321 dt 31-12-21

उपायुक्त,
दुमका।

उपायुक्त,
दुमका।

Digitally signed by RAVI SHANKAR SHUKLA
Date: 2022.12.07 13:55:28 +05:30
Location: 169.254.227.244